

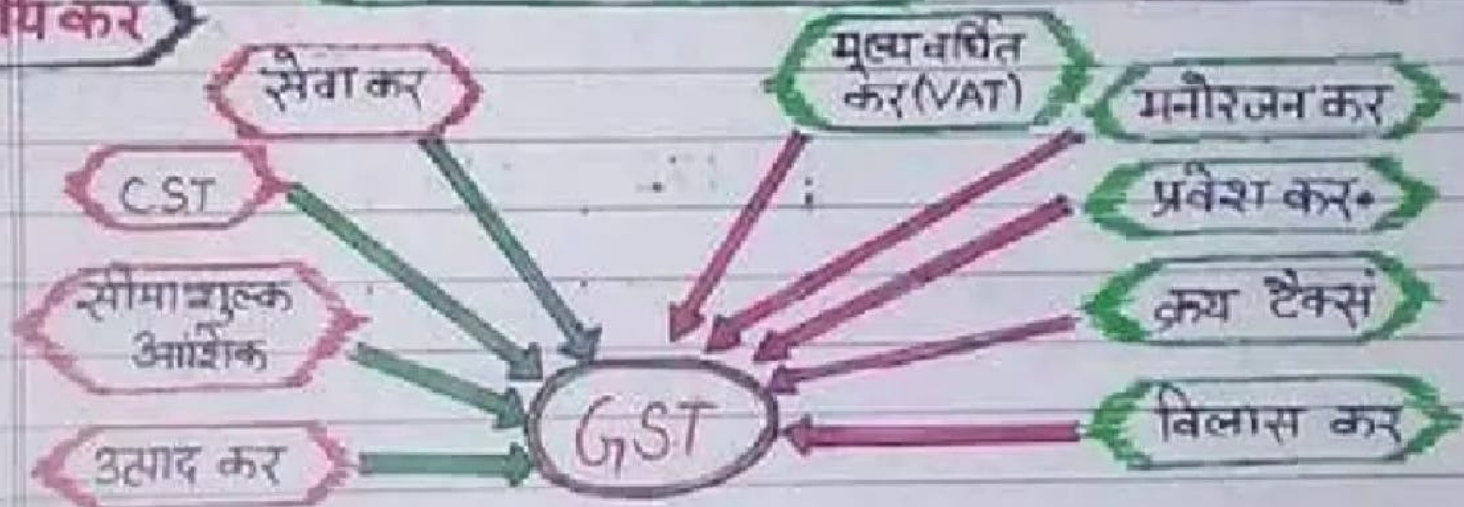
GST के लाभ:-

- कर दाताओं की संख्या में बढ़ी
- कामूनी प्रक्रियाओं में कमी
- भारतभर में कर प्रणाली का मानकीकरण
- कर के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना
- निवेश और ई कॉमर्स को बढ़ावा देना

GST किसके बदले में ?

केन्द्रीय कर

राज्य कर



➤ सीमा शुल्क का बड़ा हिस्सा अपरिवर्तित रहेगा।

➤ संपत्ति और शराब GST के बाहर रहेगा।

➤ पेट्रोलियम उत्पादों को फिलहाल GST के बाहर रखा गया है।

क्या GST के कारण मंहगाई में वृद्धि आयेगी:-

उदाहरण आज की स्थिति	उत्पादक	शोक विक्रेता	फुटकर विक्रेता	अपभोक्ता
लागत	100	172	216	
मूल्यवर्धित (VAT)	50	20	30	
अपकुल	150	192	246	253
उत्पाद कर @ 12.5%	19			
अपकुल	169	192	246	
केन्द्रीय बिक्री कर CST @ 2%	3	24	31 ⁺	
राज्य मूल्य वर्धित @ 12.5%			5 ²⁴ 07	
कुल योग	172	216	253	

Rs 11/- or
5% बचत

GST के बाद स्थिति	उत्पादक	शोक	फुटकर	अपभोक्ता
लागत	100	177	205	
मूल्यवर्धित	50	20	30	
अपकुल	150	197	235	242
GST @ 18% उदाण हेतु	27	35	42	
GST जमा		-27	-35	
कुल योग	177	205	242	

Goods & Service Tax

एक अधिनियम है जो भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए पारित विधेयक

प्रादेशिक सीमा :- भारत

द्वारा अधिनियमित :- लोक सभा

पारित करने की तिथि :- 8 अगस्त 2016

द्वारा अधिनियमित :- राज्य सभा

पारित करने की तिथि :- 3 अगस्त 2016

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली

GST in India:- भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (GST Bill) एक बहुचर्चित विधेयक है जिसमें 01 अप्रैल 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य वधित कर लगाने का प्रस्ताव है। इस कर को "वस्तु एवं सेवा कर (GST)" कहा गया है। यह एक "अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax)" होगा।

उद्देश्य - Aim • GST एक प्रकार की अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना (Indirect tax reformation Policy) है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांध कर रखना है।

- यह सम्पूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है।
- GST यदि अपनाया गया तो यह कर विसंगतियों को दूर करके एक एकजुट बाजार (Integrated Market) का निर्माण करेगा।